INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD)
© 2026 IJNRD | Volume 11, Issue 7, July 2026 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

सूचना का अधिकार और लोकतंत्र: महत्व और चुनौतियां

सुमित मान,
शोधार्थी, राजनीति विभाग,बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय ,अस्थल बोहर, रोहतक , हरियाणा, India

Abstract : ये कानून, जनता और प्रशासन के बीच पारदर्शिता लाकर सरकार के सही और भ्रष्टाचार-मुक्त कामकाज की गारंटी देते हैं। 'सूचना का अधिकार कानून' सरकार और जनता, दोनों को उनके अधिकारों और शक्तियों के बारे में जागरूक करता है और यह पक्का करता है कि सरकार ठीक से काम करे। सरकार को आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर नागरिकों के सवालों का जवाब देना होता है। अगर 30 दिनों के बाद भी जानकारी नहीं दी जाती है, तो आवेदक मुकदमा कर सकता है। खुलापन और नागरिकों की जानकारी तक पहुँच, एक लोकतांत्रिक देश के दो मुख्य आधार हैं। इस कानून का सख्ती से पालन, जो राजनीति से पूरी तरह अलग है, असल में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भारत के 'सूचना का अधिकार कानून' में और भी कई सुधारों और सुविधाओं की ज़रूरत है। कानून को परिपक्व बनाने के लिए, इसे कानूनी क्षेत्र में और विकसित होना होगा। यह कानून उन कार्यकर्ताओं और व्हिसलब्लोअर्स (भ्रष्टाचार उजागर करने वालों) की सुरक्षा करता है जिन पर अक्सर अधिकारी आसानी से हमला कर देते हैं। इस अध्ययन का आधार द्वितीयक स्रोत हैं। इस लेख का उद्देश्य लोकतंत्र में सूचना के अधिकार के महत्व को समझना और 'सूचना का अधिकार कानून' के तहत जानकारी हासिल करने में नागरिकों को आने वाली मुश्किलों का विश्लेषण है।

IndexTerms - सूचना का अधिकार कानून, जवाबदेही, पारदर्शिता, लोकतंत्र, भ्रष्टाचार-मुक्त, अभिव्यक्ति

.

INTRODUCTION

परिचय

सभी आज़ादियों में से सबसे ज़रूरी आज़ादी है - बोलने और अपनी बात कहने की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, हालाँकि एक आज़ादी को दूसरी से ज़्यादा अहमियत देना बहस का विषय हो सकता है। इस बुनियादी आज़ादी के बिना लोकतंत्र मुमकिन नहीं होगा। इस आज़ादी में बोलने और मीडिया की आज़ादी के साथ-साथ सोचने, संस्कृति और बौद्धिक खोज की आज़ादी भी शामिल है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को सरकार के दखल के बिना आज़ादी से लिखने और बात करने का अधिकार देती है; इसमें अन्याय, गैर-कानूनी गतिविधियों और अक्षमता की आलोचना करने की क्षमता भी शामिल है।

यह जानने का अधिकार, जनता को शिक्षित करने का अधिकार, किसी भी तरह की राय रखने का अधिकार, बदलाव की वकालत करने का अधिकार, अल्पसंख्यकों की बात सुने जाने और बहुमत में आने का अधिकार, और सरकारी मनमानी या अत्याचार के खिलाफ़ आवाज़ उठाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। 2005 में 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के लागू होने से एक नए युग की शुरुआत हुई है, जो भागीदारी वाले लोकतंत्र के विकास में योगदान देगा। इसने शिक्षाविदों, समाज-हित में काम करने वाले लोगों और आम जनता के बीच कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में सूचना का अधिकार भी अंतर्निहित है।

साहित्य समीक्षा

राजेश कुमार (2021), 'राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी: कॉम्प्लिमेंटरी टू ईच अदर' (सूचना का अधिकार और लोकतंत्र: एक-दूसरे के पूरक) किताब में कहा गया है कि लोकतंत्र की पहचान विचारों का खुला आदान-प्रदान और स्वतंत्र बहस है। यह तभी हो सकता है जब नागरिकों को देश के सर्वोच्च कानून द्वारा गारंटीकृत सूचना की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त हो। प्रशासनिक पारदर्शिता सच्चे लोकतंत्र की नींव और सुशासन का एक ज़रूरी हिस्सा है। पारदर्शिता प्रशासन में बंद दरवाजों के पीछे होने वाले हर तरह के भ्रष्टाचार का विरोध करती है। सूचना का अधिकार की वजह से नागरिक अपनी सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में कानून के शासन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जानकारी का अधिकार ज़रूरी है, जो लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है।

भारत में, 'सूचना का अधिकार' कानून राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस कानून की वजह से प्रशासन में पारदर्शिता का एक नया कानूनी पहलू सामने आया है।

शिवम पांडे (2024) की रिपोर्ट 'गुड गवर्नेंस एंड राइट टू इंफॉर्मेशन: एन एनालिसिस' के अनुसार, लोगों में सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए और उन्हें जानकारी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जागरूक नागरिक तभी बन सकते हैं जब उन्हें इस बात की व्यापक जानकारी हो कि उनकी सरकार कैसे काम करती है। भागीदारी वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत ज़रूरी है। लोकतांत्रिक समाज की बेहतरी के लिए जानकारी का स्वतंत्र आदान-प्रदान ज़रूरी है। भारत में लोगों की जानकारी तक पहुँच को बढ़ाने, उसकी रक्षा करने और उसे बनाए रखने के लिए 'सूचना का अधिकार अधिनियम' एक नया और असरदार ज़रिया साबित हुआ। एक मार्च के रूप में इसकी शुरुआत ने उस रहस्यमयी खामोशी को तोड़ा। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में, असरदार शासन का लक्ष्य हर नज़रिए से पूरा किया जाना चाहिए, और 'सूचना का अधिकार अधिनियम' देश की तरक्की का एक पैमाना है। साथ ही, यह नागरिकों को राष्ट्रीय चिंताओं या लक्ष्यों से जुड़ी किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक चर्चा में हिस्सा लेने का मौका देता है।

डामला सिहांगिर-टेटिक और ओमर गेन्ककाया (2022) के अनुसार, यूरोपीय संघ में शासन की गुणवत्ता और राजनीति में पारदर्शिता को देखते हुए, किसी लोकतांत्रिक देश की राजनीतिक व्यवस्था के सही ढंग से काम करने के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता मुख्य ज़रूरतें हैं। नतीजतन, बाज़ार-आधारित अर्थव्यवस्थाएँ और अच्छा शासन ज़्यादा टिकाऊ बन सकते हैं, और राजनेताओं को जनता के भले के बजाय अपने निजी फ़ायदे के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने से रोका जा सकता है।

हालांकि, हाल के समय में दुनिया भर में लोकतंत्र में जो गिरावट आई है - खासकर यूरोपीय संघ के कई सदस्य और उम्मीदवार देशों में - उसने राजनीति के लिए खुले और ज़िम्मेदार तरीके से फ़ंड जुटाना और भी मुश्किल बना दिया है। यह स्टडी यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के सात उम्मीदवार/संभावित उम्मीदवार देशों में यह पता लगाने की कोशिश करती है कि हालिया लोकतांत्रिक गिरावट ने किस हद तक नियमों और राजनीतिक फ़ंड जुटाने के तरीकों पर असर डाला है, और इसका उल्टा असर कैसे हुआ है। हमारा मानना है कि जिन देशों में भ्रष्टाचार, लोकतंत्र, आज़ादी, नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता, और गवर्नेंस स्कोर को लेकर धारणा में तेज़ी से गिरावट आई है, वहाँ यह उम्मीद की जाती है कि राजनीतिक फ़ंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही के नियम, कानून और खासकर तौर पर तौर-तरीके भी कमज़ोर हुए होंगे।

जोहान लिडबर्ग (2017). द इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ़ इन्फॉर्मेशन इंडेक्स: व्यावहारिक पारदर्शिता का एक पैमाना। नॉर्डिकॉम रिव्यू के अनुसार, पिछले 20 सालों में सूचना की आज़ादी से जुड़े कानून पास करने वाले देशों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सूचना की आज़ादी के कानून कई तरह से लोकतांत्रिक "अधिकार" के रूप में विकसित हुए हैं। बिना सूचना की आज़ादी के कोई "असली" लोकतंत्र नहीं हो सकता। सूचना की आज़ादी की व्यवस्थाओं के व्यापक वादों के अनुसार, सरकार के पास मौजूद जानकारी तक बड़े पैमाने पर स्वतंत्र पहुँच से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार और कुप्रशासन रुकेगा, और राजनीतिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन क्या सूचना की आज़ादी की असलियत इन वादों पर खरी उतरती है?

शोध के अनुसार, 'सूचना की स्वतंत्रता सूचकांक' (Freedom of Information Index) का दायरा बढ़ाकर इसमें उन सभी 65 या उससे ज़्यादा देशों को शामिल किया जाना चाहिए, जिन्होंने सूचना की स्वतंत्रता से जुड़े कानून बनाए हैं। पारदर्शिता, राजनीतिक जवाबदेही और सुशासन, उदारवादी लोकतंत्र की कुछ ऐसी बुनियादी विशेषताएं हैं, जिन्हें इस तरह के सूचकांक से काफी बढ़ावा मिलता है।

अज़ीम, हाफ़िज़ और चीमा, ज़हीर (2024) के 'सूचना का अधिकार और राज्य की गोपनीयता: लोकतंत्र में संतुलन का दृष्टिकोण' के अनुसार, किसी समुदाय में जवाबदेही, खुलापन और सुशासन बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार बहुत ज़रूरी है। संवेदनशील जानकारी तक असीमित पहुंच की अनुमति देने के फ़ायदों के बावजूद इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, खासकर तब जब मामला राज्य की गोपनीयता से जुड़ा हो।

सरकारी गोपनीयता को बढ़ावा देने वाले प्रशासनिक कदमों से 'सूचना के अधिकार' की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है। राज्य की गोपनीयता और सूचना का अधिकार एक-दूसरे से जुड़े हैं और अक्सर एक-दूसरे के विरोधी लगते हैं; एक को बढ़ावा देने से दूसरा कमजोर हो सकता है। इस टकराव को सुलझाने के लिए एक संतुलित और उचित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे सरकारी अधिकारी सूचना के अधिकार और अन्य अधिकारों के बीच संतुलन बनाकर इसे कम कर सकें। यह लेख सूचना के अधिकार और राज्य की गोपनीयता के महत्व के बीच के विरोधाभास की पड़ताल करता है। इसमें गहरी समझ प्रदान करने के लिए कई लोकतांत्रिक देशों के केस स्टडी और अनुभवों को शामिल किया गया है।

इस अध्ययन का निष्कर्ष है कि आम धारणा के विपरीत, 'सूचना का अधिकार' और 'सरकारी गोपनीयता' लोकतांत्रिक सिद्धांतों और समाज के सुचारू कामकाज के लिए ज़रूरी हैं। लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, सरकारी गोपनीयता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारी 'सूचना का अधिकार' के मामले में ज़िम्मेदारी से अपने विवेक का इस्तेमाल करके कामकाज को बेहतर बना सकते हैं और सरकारी संस्थाओं में जनता का भरोसा बढ़ा सकते हैं।

उद्देश्य

इस लेख का उद्देश्य लोकतंत्र में सूचना के अधिकार के महत्व को समझना और 'सूचना का अधिकार कानून' के तहत जानकारी हासिल करने में नागरिकों को आने वाली मुश्किलों का विश्लेषण है।

शोध पद्धति

यह शोध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। यह शोध सूचना के अधिकार से संबंधित साहित्य के विश्लेषण पर आधारित है।

विश्लेषण

सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकारी कर्मचारियों के कामों की जांच करने और सार्वजनिक नीति के बारे में सही जानकारी के साथ फैसले लेने में सक्षम बनाता है। हालांकि, सूचना के अधिकार के रास्ते में कई रुकावटें हैं, जैसे जागरूकता की कमी, नौकरशाही का विरोध और कानूनी पाबंदियां। राज्य की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी ऐसी ही एक समस्या हैं। राज्य की गोपनीयता और जानकारी पाने के अधिकार के बीच स्वाभाविक टकराव के

कारण नागरिक को जानकारी मिलने में देरी हो सकती है या जानकारी देने से इनकार किया जा सकता है। सूचना के अधिकार का महत्व इसलिए है क्योंकि यह जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन पर होने वाली चर्चाओं में जनता की भागीदारी को बनाए रखने में मदद करता है।

यह ज़रूरी सरकारी जानकारी तक आम लोगों की पहुँच को बढ़ावा देता है, पारदर्शिता लाता है और लोगों को सरकारी कामकाज की जाँच करने का मौका देकर जवाबदेही पक्की करता है। 'सूचना का अधिकार' इस सोच को मज़बूत करता है कि कानून बनाने वाले समाज पर शासन करने के बजाय उसका साथ देते हैं। अब इसे एक मौलिक अधिकार के तौर पर व्यापक रूप से माना जाता है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है; क्योंकि एक गणतंत्र में सही तरीके से वोट देने के लिए मतदाताओं का जानकार होना ज़रूरी है। कमियों और भ्रष्टाचार को उजागर करने के अलावा, जानकारी का अधिकार असरदार सार्वजनिक जवाबदेही और अच्छी सरकार बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है। राजनीतिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने की कोशिशों के बावजूद, लोकतांत्रिक देश नागरिकों से जानकारी छिपाते हैं—जैसे कि सेना से जुड़े प्रोग्राम, राजनयिकों के अपने फ़ैसले, पार्टी-राजनीति से जुड़ी चर्चाएँ और प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता की कमी।

असल में, प्रशासन का कहना है कि जानकारी को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए राज्य को अपने रहस्य सुरक्षित रखने का अधिकार है। इस विरोध का मुख्य आधार यह जायज़ डर है कि ऐसी जानकारी उजागर होने से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। भले ही 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (RTI Act) के उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं, फिर भी इसे पूरी तरह लागू करने में कई बाधाएं हैं। इन चुनौतियों में नियमों का पालन न करना, नौकरशाही का विरोध, जवाब देने में देरी और लगातार जागरूकता बढ़ाने व क्षमता निर्माण की पहल की ज़रूरत शामिल है। इन मुद्दों को हल करके और इस अधिनियम की उपलब्धियों को आगे बढ़ाकर, भारत की सरकारी व्यवस्था और भी अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सशक्त बनेगी।

निष्कर्ष

भारत में, सूचना का अधिकार कानून ने जवाबदेही, पारदर्शिता और लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। सरकारी संस्थाओं के पास मौजूद जानकारी तक लोगों की पहुँच बनाकर, इस कानून ने उन्हें सशक्त किया है और सरकार व जनता के बीच जानकारी की खाई को कम किया है। अपने लक्ष्यों और प्रावधानों के ज़रिए, यह कानून पारदर्शिता सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार रोकने और नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है। नौकरशाही का विरोध, जानकारी की कमी, जवाब देने में देरी, नियमों का पालन न होना और क्षमता की सीमाएँ—ये सभी RTI कानून को लागू करने में बाधाएँ रही हैं। फिर भी, इन चुनौतियों के बावजूद इस कानून ने उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का पर्दाफ़ाश हुआ है, सरकार की जवाबदेही मज़बूत हुई है, लोगों की भागीदारी आसान हुई है, सेवाएँ बेहतर हुई हैं, पारदर्शिता और खुलापन बढ़ा है, और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाया गया है। यह जानने के लिए कि सूचना का अधिकार एक्ट कितना असरदार है, जानकारी तक पहुँच, जवाबदेही, खुलेपन, नागरिकों की भागीदारी, भ्रष्टाचार पर रोक, जागरूकता और हाशिए पर रहने वाले लोगों की भागीदारी पर इसके असर का मूल्यांकन करना ज़रूरी है। इसने शासन में

नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है, नागरिकों को सशक्त बनाया है और सरकारी पारदर्शिता को बढ़ाया है। अगर लागू करने में आ रही दिक्कतों को दूर कर लिया जाए और लोगों में जागरूकता और भागीदारी को और बढ़ाया जाए, तो यह एक्ट भारत की सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिकों के सशक्तिकरण को और आगे बढ़ा सकता है।

संदर्भ सूची

[1] कुमार डॉ. नीरज, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर ग्रंथ, भारत लॉ हाउस, नई दिल्ली (2007)

[2] पी.के., सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर हैंडबुक, यूनिवर्सल पब्लिकेशन, (2005) संस्करण। साठे एस.पी., सूचना का अधिकार, लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ्स, पहला संस्करण (2006)

[3] कुमार, राजेश। (2021)। सूचना का अधिकार और लोकतंत्र: एक-दूसरे के पूरक। 60. 126-134.

[4] पांडे, शिवम। (2024)। सुशासन और सूचना का अधिकार: एक विश्लेषण। 02. 1-12.

[5] सिहांगिर-टेटिक, डामला और गेन्काकाया, ओमर। (2022)। यूरोपीय संघ में शासन की गुणवत्ता और राजनीति में पारदर्शिता।

[6] लिडबर्ग, जोहान। (2017)। अंतर्राष्ट्रीय सूचना स्वतंत्रता सूचकांक: व्यवहार में पारदर्शिता का प्रहरी। नॉर्डिकॉम रिव्यू। 30. 167-182.

[7] चीमा, ज़हीर और अज़ीम, हाफ़िज़। (2024)। सूचना का अधिकार और राज्य की गोपनीयता: लोकतंत्र में संतुलन बनाने का दृष्टिकोण। लॉ एंड पॉलिसी रिव्यू। 3. 26-47.

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.